न्यायालय : आशुतोष खेतान, अपर सत्र न्यायाधीश – ग्यारह, नवादा।
नियमित जमानत आवेदन सं0 – 1600 / 2026
(पकरीबरावां थाना काण्ड संख्या – 501 / 2025 से उद्भूत)
अन्तर्गत धारा 115(2), 117(2), 126(2), 109, 351(3), 352, 190, 191(3) बी0एन0एस0
किशोरी चौहान एवं दो अन्य बनाम् बिहार सरकार

दिनांक	आदेश	अभ्युक्ति
07.07.2026	01. प्रस्तुत नियमित जमानत आवेदन दिनांक 18.06.2026 से काराधीन अभियुक्तगण / आवेदकगण **01. किशोरी चौहान**, पिता– द्वारिका चौहान, **02. चंदन कुमार उर्फ चंदन चौहान**, पिता– किशोरी चौहान, एवं **03. कमलेश चौहान**, पिता – सोमर चौहान, सभी ग्राम– पिंडपड़वा, थाना– पकरीबरावां, जिला– नवादा की ओर से पकरीबरावां थाना काण्ड संख्या– 501 / 2025 अन्तर्गत धारा 115(2), 117(2), 126(2), 109, 351(3), 352, 190, 191(3) बी0एन0एस0 में दाखिल किया गया है जिसकी प्रति अभियोजन को दी गयी है। 02. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्ण किशोर प्रसाद जमानत आवेदन को संचालित कर कहते हैं कि आवेदकगण निर्दोष हैं और इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इनकी ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन सं0 639 / 2026 को खारिज किया गया था तथा Cr. Misc. No. – 33004 / 2026 को मान्नीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश द्वारा खारिज किया गया है जिसके पश्चात् इन्होंने इस जमानत आवेदन के अलावा अन्य कोई अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन इस न्यायालय अथवा मान्नीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष दाखिल नहीं किया है। आगे कथन है कि यह वाद पकरीबरावां थाना कांड संख्या 502 / 2025 का पलटा वाद है और इनके विरूद्ध लगाया गया सभी आरोप झूठा एवं मनगढ़ंत है। यह भी कथन है कि अन्य सह–अभियुक्त पप्पु चौहान एवं उदय चौहान को बी0पी0 संख्या– 45 / 2026 में मान्नीय अपर सत्र न्यायाधीश– ग्यारह के पारित आदेश द्वारा नियमित जमानत का लाभ दिया गया है और इनकी भी समान स्थिति है। अंततः कथन है कि आवेदकगण दिनांक 18.06.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है और बंध–पत्र दाखिल करने के लिए तैयार है, इसलिए इनके जमानत आवेदन को स्वीकृत किया जाए। 03. विद्वान अपर लोक अभियोजक कांड–दैनिकी दाखिल कर जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहते हैं कि आवेदकगण पर सीधा आरोप है और वाद अनुसंधानरत है, इसलिए इनका जमानत आवेदन खारिज किया जाए। सूचक के विद्वान अधिवक्ता श्री अजित कुमार सिन्हा विभिन्न कागजात छाया–प्रति दाखिल कर जमानत आवेदन का पुरजोर विरोध करते हैं। 04. उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। सूचिका सम्फुल देवी के लिखित आवेदन के अनुसार, अभियोजन का संक्षेप में कथन है कि दिनांक 18.12.2025 को समय करीब 11:30 बजे दिन में जमीन खाता 1010 प्लॉट 7117, 7118 रकबा 62 डि0 जिसपर टाइटल सूट वाद संख्या 602 / 2024 लगा हुआ है में महेन्द्र चौहान, सुनीता देवी, ललिता देवी, **कमलेश चौहान, किशोरी चौहान**, **चंदन चौहान (तीनों आवेदकगण)**, पप्पु चौहान, उदय चौहान एवं संजु देवी सभी मिलकर विवादित जमीन पर जबरदस्ती पीलर देने लगे। सूचिका के जेठ के विरोध करने पर कमलेश चौहान ने लोहे के रॉड से जान मारने की नीयत से लक्ष्मण चौहान के माथा पर मार दिया जिससे माथा फट गया तथा दोनों हाथ पर मार दिया जिससे हाथ टूट गया। जब ब्रहमदेव चौहान बचाने गए तो कमलेश चौहान एवं पप्पु चौहान ने ईंट–पत्थर से उनके माथा एवं हाथ पर मारा जिससे वे जख्मी हो गए और योगेन्द्र चौहान बचाने गए तो किशोरी चौहान ने लाठी से माथा एवं हाथ पर मार दिया जिससे माथा फट गया। सीता देवी बचाने गई तो चंदन चौहान ने लाठी से मार दिया जिससे वह भी जख्मी हो गई और जब सुषमा देवी बचाने गई तो संजु देवी ने शीशम के टोना से हाथ पर मारा जिससे हाथ टूट गया। कंचन देवी,	

लगातार..... 07.07.2026	लखपति चौहान एवं सिकंदर चौहान बचाने आए तो महेन्द्र चौहान, सुनीता देवी, ललिता देवी, कमलेश चौहान, पप्पु चौहान, उदय चौहान एवं किशोरी चौहान ईंट–पत्थर चलाने लगे जिससे सिकंदर चौहान का दाहिना हाथ में चोट लगा एवं पप्पु चौहान ने शीशम के टोना से माथा पर मारा तो नाक से खून गिरने लगा एवं माथा में सूजन हो गया और लखपति को पीठ पर चोट लगया है। सभी ने जान मारने की धमकी दिया और डायल 112 के पुलिस अधिकारी ने पहुंच पर जख्मी को अस्पताल में भर्ती कराया, इसलिए प्राथमिकी दर्ज की गई है। 05. विचारण न्यायालय के मूल अभिलेख में संलग्न कांड–दैनिकी में वादी एवं साक्षियों ने घटना का समर्थन किया है परंतु सभी के अनुसार उभय पक्षों के बीच पूर्व से जमीनी विवाद चल रहा है। कंडिका 24 के अनुसार आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। संलग्न जख्म–प्रतिवेदन के अनुसार जख्मी ब्रहमदेव चौहान, लक्ष्मण चौहान, सुषमा देवी, जोगेन्द्र चौहान एवं सीता देवी को हाथ में फ्रैक्चर पाया गया है जो गंभीर प्रकृति का है तथा कड़े एवं भोथरे पदार्थ से कारित है किंतु किसी को भी शरीर के नाजूक हिस्से पर कोई गंभीर जख्म नहीं पाया गया है जिसके आलोक में धारा 109 बी0एन0एस0 बनता प्रतीत नहीं होता है। आवेदकगण द्वारा दाखिल कागजात से स्पष्ट होता है कि उसी दिन की घटना को लेकर सह–अभियुक्त पप्पु चौहान द्वारा सूचक एवं अन्य के विरूद्ध पकरीबरांवा थाना कांड सं0 502/2025 दर्ज कराया गया है जिसमें आवेदकगण को भी चोट लगा है और उसके अभियुक्तों को समकक्ष न्यायालय से नियमित जमानत का लाभ मिला है। यद्यपि आवेदकगण पर प्रहार करने का सीधा आरोप है किंतु किसी भी जख्मी को शरीर के नाजुक हिस्से में गंभीर जख्म नहीं हुआ है। वाद के नामित सह–अभियुक्तों को पूर्व में इसी न्यायालय द्वारा नियमित जमातन का लाभ दिया गया है। आवेदकगण दिनांक 18.06.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में हैं। 06. उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, उभय पक्षों के बीच जमीनी विवाद एवं पलटा केस होना, शरीर के नाजुक हिस्से पर कोई गंभीर जख्म नहीं पाया जाना, इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं होना, नामित सह–अभियुक्तों को नियमित जमानत का लाभ मिलना तथा न्यायिक अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के आलोक में यह न्यायालय आवेदकगण को नियमित जमानत का लाभ देना न्यायोचित समझती है। अतः आवेदकगण **01. किशोरी चौहान, 02. चंदन चौहान एवं 03. कमलेश चौहान** को दस हजार रूपए एवं उसी राशि के दो जमानतदारों द्वारा बंध–पत्र दाखिल करने पर निम्न शर्तों के साथ **मुक्त** करने का आदेश दिया जाता हैः– 01. एक जमानतदार आवेदक के नजदीकी रिश्तेदार होंगे। 02. आवेदकगण वाद के अनुसंधान एवं विचारण में पूर्ण सहयोग करेंगे। (लेखापित) (आशुतोष खेतान) अपर सत्र न्यायाधीश–ग्यारह, नवादा।	